न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 59 / 2020
वाद–पत्र दायरी दिनांक : 06 / 08 / 2020
निर्णय दिनांक : 13/01/2021

बजरंग पुत्र श्री गोपाल जाति जाट निवासी बिहारीपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

—— वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री गोवर्धन जाति जाट निवासी बिहारीपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2. शंकर पुत्र श्री गोपाल जाति जाट निवासी बिहारीपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
3. सोहनी पत्नि गोपाल जाति जाट निवासी बिहारीपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
4. गीता देवी पुत्री गोपाल पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी बिहारीपुरा हाल निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
5. तहसीलदार महोदय, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

—— प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 रा0टी0ए0

उपस्थिति – श्री मुकेश चौधरी (बाना)
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री नरेन्द्र परेवा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4

प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 13/01/2021

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 44 के आराजी खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

1056 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13 रकबा 2.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1422 रकबा 0.6200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1422/1965 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1429/1962 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1464/1953 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 15 रकबा 1.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1595 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1843/1956 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1982/1596 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1983/987 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1985/1420 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1992/911 रकबा 0. 2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 1.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0. 0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 909 रकबा 1.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 913 रकबा 0. 4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 914/1954 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 915 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 916 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 917 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 988 रकबा 0.6300 हैक्टेयर कुल किता 31 कुल रकबा 12.9400 हैक्टेयर वाके ग्राम बिहारीपुरा व खाता संख्या 164 के आराजी खसरा नम्बर 790 रकबा 3.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 790/958 रकबा 0.7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 823 रकबा 0.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 824 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 825 रकबा 4.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 826 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 856 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 859 रकबा 1.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 860 रकबा 4.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 861 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 886 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 895 रकबा 6.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 896 रकबा 3.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 897 रकबा 3.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 898 रकबा 2.8800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 899 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 20 कुल रकबा 35.0800 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सवाईमाधोसिंहपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है जिसमें वादी का 1/5 हिस्से का खातेदार

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) प्र.पू.

काश्तकार है एवं शेष 4/5 हिस्सा संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का है तथा इसी हिस्से अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त है इस प्रकार गोरधन के गोपाल लडका है बजरंग एवं शंकर गोरधन के पौत्र है गीता देवी पौत्री एवं सोहनी पुत्रवधू है इस प्रकार विवदित आराजी पक्षकारान की मौरूसी मुश्तर्का पैतृक आराजी है। उपरोक्त विवादित भूमि पक्षकारान की संयुक्त पैत्रिक सम्पति है, विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल को उसके पिता/बुजूर्ग से प्राप्त है एवं प्राप्त होने के पश्चात उपरोक्त भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है उक्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा है। उपरोक्त विवादित भूमि में वादी का संयुक्त पैत्रिक हिस्सा है जिसमें वादी अपने जन्म से ही अपने उक्त पैत्रिक हिस्से के हकदार है चूंकि विवादित भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादी जिनका उक्त विवादित भूमि में हिस्सा है वे उक्त भूमि उनके नाम दर्ज नही होने से सरकारी सुविधाओं से व सरकार की कृषिनितियों से होने वाले लाभों से वंचित चले आ रहे है। वादी के नाम उसके हिस्से अनुसार उपरोक्त विवादित भूमि उसके नाम नही होने एवं वादी लगातार अपने हिस्से की सुविधाओं से वंचित चले आने पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से उसका हिस्सा अभी दिनांक 30.07.2020 को नाम लगाने हेतु कहां तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उसका हिस्सा नाम लगाने में आनाकानी करने लगा एवं कहां कि विवादित भूमि की सम्पूर्ण की खातेदारी उसके नाम है वह किसी भी सुरत में वादी के नाम नही करवायेगा एवं यदि वादी ने ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो विवादित भूमि की खातेदारी सम्पूर्ण की उसके नाम है वह उसे सम्पूर्ण को विक्रय कर वादी को बेदखल करा देगा। प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त कथन पर वादी को बडा आश्चर्य हुआ कि वह विवादित भूमि में अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करे।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात में वादी को 1/5 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को प्रत्येक को 1/5, 1/5 अर्थात संयुक्त रूप से 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वाद पत्र के मद नम्बर 01 में वर्णित भूमि में वादी के हिस्से में कब्जेकाश्त में मजाहमत नही स्वयं

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) चूरू

करे, न अन्य से करावे तथा विवादित भूमि को किसी को विक्रय या हस्तांतरण नही करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी।

दिनांक 24/08/2020 को प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 की ओर से श्री नरेन्द्र परेवा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 ने राजीनामा पेश किया जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 फोरमल पक्षकार हैं। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 44, 164, नकल नामान्तरकरण, मिलान क्षैत्रफल एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वादी ने अपने उक्त वाद में पक्षकारान के एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के होना एवं विवादित आराजीयात पैतृक आराजीयात होना अंकित करते हुये वादी द्वारा अपने हिस्से की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया हैं। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 आपस में पिता–पुत्र–माता होकर एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होना पाये जाते है चूंकि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का जायन्दा पुत्र है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी का जन्मजात हक व हिस्सा बनता है, जिसको प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 राजीनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया है एवं मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जाकर अपनी पूर्ण सहमति दी हैं, चूंकि पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है एवं आपस में पिता–पुत्र है तथा बहिन ने राजीनामा में अपना हक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक में छोड दिया है, इस प्रकार बरूये राजीनामा विवादित आराजीयात में वादी को 3/10 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 2 को 3/10 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 3 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय) चूरू

अतः वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 44 के आराजी खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13 रकबा 2.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1422 रकबा 0.6200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1422/1965 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1429/1962 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1464/1953 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 15 रकबा 1.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1595 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1843/1956 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1982/1596 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1983/987 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1985/1420 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1992/911 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 1.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 909 रकबा 1.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 913 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 914/1954 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 915 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 916 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 917 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 988 रकबा 0.6300 हैक्टेयर कुल किता 31 कुल रकबा 12.9400 हैक्टेयर वाके ग्राम बिहारीपुरा व खाता संख्या 164 के आराजी खसरा नम्बर 790 रकबा 3.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 790/958 रकबा 0.7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 823 रकबा 0.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 824 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 825 रकबा 4.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 826 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 856 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 859 रकबा 1.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 860 रकबा 4.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 861 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 886 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 895 रकबा 6.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 896 रकबा 3.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 897 रकबा 3.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 898 रकबा 2.8800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 899 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 20 कुल रकबा 35.0800 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सवाईमाधोसिंहपुरा तहसील

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चूरू

मौजमाबाद जिला जयपुर में वादी को 3/10 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 2 को 3/10 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 3 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31 :92

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू मुकाम

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.)

बजरंग पुत्र श्री गोपाल जाति जाट निवासी बिहारीपुरा तह. मौजमाबाद जिला जयपुर राज. बनाम ① गोपाल पुत्र श्री गोवर्धन ② शंकर ③ सोहनी ④ गीता देवी ⑤ तहसीलदार मौजमाबाद

दावा बाबत दौषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 59/2020 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधि. श्री मुकेश चौधरी

व हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू अधि. श्री नरेन्द्र पारेवा

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का वाद बरवये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता सं. 44 के आराजी खसरा नं. 1056 रकबा 0.1500 हैक्टे; ख.नं. 1076 रकबा 0.4300 हैक्टे; ख.नं. 13 रकबा 2.4600 हैक्टे. ख.नं. 1398 रकबा. 0.2000 हैक्टे. खसरा नं. 14 रकबा 0.1100 हैक्टे; ख.नं. 1422 रकबा 0.6200 हैक्टे; ख.नं. 1422/1965 रकबा 0.1000 हैक्टे; ख.नं. 1424 रकबा 0.3300 हैक्टे; ख.नं. 1429 रकबा 0.4500 हैक्टे; ख.नं. 1429/1962 रकबा 0.0800 हैक्टे;

निज .... मुवलिग .... बाबत

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 01 सन् 2021 को

जारी की गई

मुहर (सहायक कलक्टर ... दूदू)

दस्तखत (हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर

ओहदा (फास्ट ट्रैक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा,		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

डिक्री पत्र

ACM-दूदू   बजरंग   बनाम   गोपाल वगै.

59/2020   दावा   दि. 13/01/2021

ख.नं. 1430 रकबा 0.0400 हैक्टेयर; 1431 रकबा 0.1700 हैक्टेयर; ख.नं. 1432 रकबा 0.0700 हैक्टेयर; ख.नं. 1464/1953 रकबा 0.2100 हैक्टेयर; ख.नं. 15 रकबा 1.6100 हैक्टेयर; ख.नं. 1595 रकबा 0.1900 हैक्टेयर; ख.नं. 1843/1956 रकबा 0.7100 हैक्टेयर; ख.नं. 1982/1596 रकबा 0.0200 हैक्टेयर; ख.नं. 1983/987 रकबा 0.0500 हैक्टेयर; ख.नं. 1985/1420 रकबा 0.1200 हैक्टेयर; ख.नं. 1992/911 रकबा 0.2000 हैक्टेयर; ख.नं. 37 रकबा 1.3000 हैक्टेयर; ख.नं. 38 रकबा 0.0900 हैक्टेयर; ख.नं. 909 रकबा 1.0200 हैक्टेयर; ख.नं. 913 रकबा 0.4000 हैक्टेयर; ख.नं. 914/1354 रकबा 0.1400 हैक्टेयर; ख.नं. 915 रकबा 0.1100 हैक्टेयर; ख.नं. 916 रकबा 0.1400 हैक्टेयर; ख.नं. 917 रकबा 0.5000 हैक्टेयर; ख.नं. 985 रकबा 0.2900 हैक्टेयर; ख.नं. 988 रकबा 0.6300 हैक्टेयर; कुल किता 31 कुल रकबा 12.9400 हैक्टेयर वाके ग्राम बिहारीपुरा व खाता सं. 164 के आराजी ख.नं. 790 रकबा 3.2500 हैक्टेयर; ख.नं. 790/958 रकबा 0.7500 हैक्टेयर; ख.नं. 823 रकबा 0.5700 हैक्टेयर; ख.नं. 824 रकबा 0.5800 हैक्टेयर; ख.नं. 825 रकबा 4.7100 हैक्टेयर; ख.नं. 826 रकबा 0.1000 हैक्टेयर; 854 रकबा 0.6900 हैक्टेयर; 855 रकबा 0.7100 हैक्टेयर; ख.नं. 856 रकबा 0.2300 हैक्टेयर; ख.नं. 857 रकबा 0.2800 हैक्टेयर; ख.नं. 858 रकबा 0.1300 हैक्टेयर; ख.नं. 859 रकबा 1.5700 हैक्टेयर; ख.नं. 860 रकबा 4.9000 हैक्टेयर; ख.नं. 861 रकबा 0.5400 हैक्टेयर; ख.नं. 886 रकबा 0.3400 हैक्टेयर; ख.नं. 895 रकबा 6.2700 हैक्टेयर; ख.नं. 896 रकबा 3.1000 हैक्टेयर; ख.नं. 897 रकबा 3.3900 हैक्टेयर; ख.नं. 898 रकबा 2.8800 हैक्टेयर; ख.नं. 899 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 20 कुल रकबा 35.0800 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा तह. मौजमाबाद जिला जयपुर में वादी को 3/10 हिस्सा का, प्रति. सं. 2 को 3/10 हिस्से का, प्रति. सं. 1 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 3 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू